(54)

27

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 134–तीन / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, जिला– सागर, प्रकरण कमांक 359 / अ–70 / 2012–13

.....

महेन्द्र कुमार तनय श्री रामनाथ श्रीवास्तव
निवासी –बड़ागॉव तहसील मऊरानीपुर
जिला–झॉसी उ0प्र0, हाल निवासी कसबा
बमीठा थाना बमीठा तह0 राजनगर
जिला–छतरपुर, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

परमलाल पुत्र श्री घन्सू प्रजापति,
निवासी– ग्राम सद्दूपुरा राजस्व निरीक्षक
मंडल चन्द्रनगर, तह0 राजनगर
जिला–छतरपुर, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/4/15 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, जिला–सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 150/2/4 रकबा 0.528 हैक्टर स्थित ग्राम बमीठा तहसील व राजनगर की आराजी भूमि स्वामी अधिपत्यधारी आवेदक है । आवेदक ने अपनी भूमि की सुरक्षा बावत कच्चे ईटों से झोपड़ी का निर्माण किया एवं करीब 6 फिट की ऊँची दिवार बनाई तथा एक दरवाजा मुख्य मार्ग पर बनाया है । झोपड़ी पर खपरे का छप्पर लगाना था, किन्तु दिनांक 07.06.010 को उक्त भूमि में बने झोपड़ी पर अनावेदक अवैध कब्जा हासिल करना चाहता है । आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार राजनगर के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर अवैध कब्जा हाटने एवं उक्त भूमि पर वापिस कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया है । न्यायालय तहसीलदार राजनगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं सूचना उपरांत अनावेदक की अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 30.08.2011 को आवेदक के हित में कब्जा हटाने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.12.2011 को अपील मय धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा दिनांक 12.12.2012 को आदेश पारित कर प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दी गई । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 359/अ–70/2012–13 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया एवं अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 26.12.2013 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार राजनगर के समक्ष आवेदक द्वारा प्रकरण प्रारंभ किये जाने पर अनावेदक द्वारा अपनी उपस्थिति उपरांत अनुपस्थिति रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं यह प्रमाणित पाया था कि आवेदक की भूमि पर अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा किया गया है और पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 जिसकी जानकारी अनावेदक को पूर्व से ही थी । उसने

आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा किये रहने के कारण उसके विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की थी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि उपरांत प्रस्तुत आवेदन धारा 5 के आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए आग्रह किया था । इस कारण विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं की थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह मान्य किया था कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2010, दिनांक 23.07.2010 एवं 10.08.2010 को अनावेदक द्वारा अपनी उपस्थिति दी थी । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अनावेदक को पारित आदेश की पूरी जानकारी रही है । जबरन कब्जा करने की नियत से अनावेदक द्वारा विलंब से प्रस्तुत अपील को आग्रह किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की थी, किन्तु अपर आयुक्त सागर द्वारा बिना उल्लेखित प्रावधान जो कि इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं थे का उल्लेख कर सिविल न्यायालय की संज्ञा देते हुए अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया है। तर्क में यह भी किया गया है कि आवेदक द्वारा विधिवत सीमांकन उपरांत यह प्रमाणित एवं सिद्ध किया था कि विवादित भूमि पर अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा किया गया है एवं कब्जा छोड़े जाने के उपरांत पुनः बल पूर्वक कब्जा किया है । जिसके कारण अनावेदक के विरूद्ध सिविल जर्ज की कार्यवाही किये जाने का आदेश भी विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2012 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर सम्पूर्ण जांच एवं वैधानिक प्रक्रिया के तहत अनावेदक परमलाल को गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के साथ सिविल कारगार की कार्यवाही हेतु अभी पत्र जारी किया था, किन्तु अपर आयुक्त सागर द्वारा संलग्न रिकार्ड का परिशीलन किये बिना विवादित आदेश के तहत प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार किया गया है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 निरस्त किया जाकर अनुविभगीय अधिकारी एवं तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का सही सीमांकन एवं नक्शा तरमीम संहिता की धारा 107 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं किया गया है। तहसीलदार नक्शा संशोधन करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं । संहिता धारा 107 के अंतर्गत

केवल कलेक्टर को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है और खसरा नंबर 150 में कलेक्टर द्वारा नक्शा तरमीम करने का कोई आदेश नहीं दिया और ऐसी किसी तरमीम के बिना तो सीमांकन किया जा सकता है और न ही कब्जा हटाया जा सकता है । खसरा नंबर 150/1/2 में वर्ष 1980 से अनावेदक खेती करता चला आ रहा है तथा आवेदक ने अभी वर्ष 2005–06 में भूमि खरीद कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायी है और गलत ढंग से तहसीलदार के समय तत्कालीन हल्का पटवारी एवं आर0आई0 से मिलकर गलत तरमीम कराकर अनावेदक के स्वत्व और कब्जे में दखलंदाजी शुरू की है और यह मात्र इसलिये किया है कि बमीठा–खजुराहो रोड से लगी हुई कीमती भूमि को अनावेदक की हड़प कर दी जावे । तर्क में यह भी बताया गया है कि खसरा नं0 150 के कई बटा कायम होने पर उसमें आवेदक सहित तहसीलदार आदि के नाम इस खसरा के बटे नबर में दर्ज है । इस अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है तथा अपील उचित न्याय शुल्क के साथ इस न्यायालय में पेश की गई है जिसमें विवादित आदेश 30.08.11 को चुनौती दी गयी है और उसे निरस्त कराने की प्रार्थना की गई है जिसके कारण विवादित आदेश दिनांक 30.08.2011 के आधार पर तहसीलदार राजनगर क्षेत्र चन्द्रनगर को कब्जा हटाने एवं जेल भेजने जैसी कार्यवाही से रोका जाना आवश्यक है एवं न्यायसंगत है। अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके समक्ष अनावेदक दो पेशियों में उपस्थित होने के बाद अनुपस्थित हो गया तथा फिर उसने कभी भी उपस्थित होने अथवा प्रकरण की जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया । आदेश पारित होने के बाद स्थल पर भूमि का कब्जा आवेदक को 6.9.11 को सौंपा गया तब उसे अवश्य ही जानकारी हो गई होगी । तथापि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 26.12.13 में अनावेदक को समयसीमा से छूट देने की जो विधिक आधार दर्शाए है, उन्हें भी अनदेखा करना उपयुक्त नहीं होगा । उक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वह अनावेदक की समयसीमा से छूट प्रदान करते हुए उनकी अपील का निराकरण गुण–दोषों पर करते । अपर आयुक्त ने अपने आदेश

दिनांक 26.12.2013 में समयसीमा के जो निष्कर्ष निकाले है उनका आदेश वहां तक तो उचित है, लेकिन उन्होंने जो स्वत्व का प्रश्न निहित होना बताया है उसके क्या आधार है, यह स्पष्ट नहीं किया गया । अतः उनके आदेश का उक्त हिस्सा स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आंशिक मान्य की जाती है । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 26.12.2013 केवल समयसीमा के बिन्दु पर निष्कर्ष तक स्थिर रखा जाता है उसका शेष भाग निरस्त किया जाता है । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उनके समक्ष पेश अपील को समयसीमा में ग्राह्य कर उसका निराकरण उपयपक्षों को सुनकर पुनः गुण–दोषों पर करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर